



सं./No.: 285 /37-G-6

दिनांक/Date : 10 - 02- 2023

**बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं० ०१ / 37-जी-6, दिनांक 10-02-2023**

**1. स्थानान्तरण पर आए :-**

निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार इस केन्द्र में स्थानान्तरण पर आए:-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	कार्यालय जहाँ से स्थानांतरित हुए	स्थानान्तरण की तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	प्राधिकार
1	श्री अभिषेक, अधीक्षण सर्वेक्षक	पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी., चण्डीगढ़	22-12-2022 (A/N)	23-12-2022 (A/N)	भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० स्था. 1-6708/701, दिनांक 12-12-2022
2	श्री विकास कुमार, एम०टी०एस०	हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चण्डीगढ़	19-12-2022 (A/N)	22-12-2022 (F/N)	भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० स्था. 3-371/1095-स्थानान्तरण दिनांक 07-12-2022

**2. नियमित आधार पर पदोन्नति :-**

क्रम सं०	नाम	जिस पद पर कार्यरत थे	जिस पद पर पदोन्नति दी गई	पदोन्नति की तारीख	प्राधिकार
1	श्री धर्मेन्द्र कुमार	आशुलिपिक ग्रेड-II	आशुलिपिक ग्रेड-I	02-01-2023	भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० सी 7503/725-स्टेनो (1) दिनांक 31-12-2022
2	श्री शिव प्रकाश	प्रवर श्रेणी लिपिक	सहायक	02-01-2023	भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० सी 7572/1354 (सहायक/एच०सी०) दिनांक 31-12-2022

उपरोक्त अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ आर 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प देय होगा।

उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधित मामला अनुशासनिक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला प्रकाश में आता है तब उन पर पदोन्नति में आदेश कार्यान्वित नहीं किए जायेंगे।

उपरोक्त अधिकारी में वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा किया जाएगा एवं अतिरिक्त व्यय बिहार जी०डी०सी०, पटना केन्द्र में वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जाएगा।

संबंधित उपरोक्त कार्मिक का जाति के प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन किया जाएगा एवं यदि यह पाया गया कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है तो उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

### 3. स्थानान्तरण पर गए :-

भारत के महासर्वेक्षक के आदेशानुसार निम्नलिखित अधिकारी का स्थानान्तरण/तैनाती उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार किया गया है :-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	कार्यालय से	कार्यालय को	कार्यमुक्त की तिथि	प्राधिकार
1	श्री राजेश कुमार, अधीक्षण सर्वेक्षक	बिहार जी.डी.सी., पटना	पूर्वी उ०प्र० जी.डी.सी., लखनउ	26-12-2022 (A/N)	भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० स्था. 1-6922/1466019/1/2020-ई१-एस०जी०ओ०-पार्ट(1)1466 अधिकारी दिनांक 23.12.2022

### 4. एम०ए०सी०पी०-एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने के संबंध में :-

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून द्वारा इस निदेशालय के निम्नलिखित गुप सी (पूर्व गुप डी) कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं०.	नाम व पदनाम	वर्तमान पे लेवल	एम०ए०सी०पी० के उपरांत पे लेवल	एम०ए०सी०पी० लागू होने की तिथि
1	श्री उपेन्द्र प्रसाद, एम०टी०एस०	लेवल-3	लेवल-4	01.01.2023

**प्राधिकारी:- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० सी-7360/1902-एम०ए०सी०पी०(गुप डी) दिनांक 23/12/2022।**

उपरोक्त अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ आर 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प देय होगा।

उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधित मामला अनुशासनिक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला प्रकाश में आता है तब उन पर पदोन्नति में आदेश कार्यान्वित नहीं किए जायेंगे।

उपरोक्त अधिकारी में वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा किया जाएगा एवं अतिरिक्त व्यय बिहार जी०डी०सी०, पटना केन्द्र में वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जाएगा।

### 5. ट्रेड टेस्ट/अपग्रेडेशन

निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम से सामने दर्शाये गई तिथि से पी०बी०-1 रु 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 (पे लेवल-4) के वेतनमान में पटल चित्रक ग्रेड-3 के पद पर अपग्रेड करने के लिए भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्रम सं०	नाम	वर्तमान पद	प्रस्तावित ट्रेड/ग्रेड	अपग्रेडेशन की तारीख	प्राधिकार
1	श्री मनोज कुमार	पटल चित्रक ग्रेड-IV	पटल चित्रक ग्रेड-III	01.01.2023	भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० स्था.2-09/1248-बिहार जी.डी.सी. (संग्रह-01) दिनांक 06.01.2023
2	श्री नरसिंह दुसाध	पटल चित्रक ग्रेड-IV	पटल चित्रक ग्रेड-III	01.01.2023	भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं० स्था.2-09/1248- बिहार जी.डी. सी.(संग्रह-01) दिनांक 06.01.2023

उपरोक्त कार्मिको का अपग्रेडेशन पर वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । ग्रेड पदोन्नति पर उपरोक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० ई-2-8293/1248-जनरल दिनांक 28/08/2012 के पैरा 03 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2022-2023 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

#### 6. पुष्टिकरण/स्थायीकरण (Confirmation)

इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारी के द्वारा परीक्षित अवधि पूर्ण होने के उपरांत उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से स्थायीकरण/पुष्टिकरण किया जाता है ।

क्रम सं०	नाम	पदनाम	पुष्टिकरण की तिथि
1	श्री मनोज कुमार	एम०टी०एस० (अब पटल चित्रक ग्रेड-4)	01-01-2015

प्राधिकारी:-बिहार जी०डी०सी०,पटना का पत्रांक 2659/14-सी-2 दिनांक 24/11/2022 ।

7. सेवानिवृति:- इस निदेशालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत हुए ।

क्रम सं०	नाम	पदनाम	पुष्टिकरण की तिथि
1	श्री श्रीराम यादव	एम०टी०एस०	31-01-2023(A/N)

#### 8. पदनाम में परिवर्तन:-

भारत के राजपत्र जून 17 1989/ज्येष्ठ 27, 1911 में **Superintending Surveyor** का पद का हिन्दी अनुवाद **अधीक्षक सर्वेक्षक** के स्थान पर **अधीक्षण सर्वेक्षक** लिखा गया है तथा **Deputy Superintending Surveyor** पद का हिन्दी अनुवाद **उप अधीक्षक सर्वेक्षक** के स्थान पर **उप अधीक्षण सर्वेक्षक** लिखा गया है । अतः **अधीक्षक सर्वेक्षक** के स्थान पर **अधीक्षण सर्वेक्षक** तथा **उप अधीक्षक सर्वेक्षक** के स्थान पर **उप अधीक्षण सर्वेक्षक** तत्काल प्रभाव से सभी पत्रों/पत्राचारों में प्रयोग किया जाये ।

प्राधिकार:- विभागीय आदेश सं० W-342/709-Strength दिनांक 16/12/2022 ।



(कर्नल वी राजू)

निदेशक

बिहार जी०डी०सी०, पटना।

#### वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. अनुभाग प्रभारी, प्रशासनिक अनुभाग (बि.भू.ऑ.के.)/लेखा अनुभाग (बि.भू.ऑ.के.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अनुभाग प्रभारी, गोपनीय अनुभाग (बि.भू.ऑ.के.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. गार्ड फाईल ।